राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकः आईपीआई/पी.3/ऑडिट/38/2016/1527
दिनांकः 16 अगस्त, 2016

परिपत्र

विषय :–राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2015–16 के 37 वॉ प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009–10) की सिफारिश संख्या 1 अनुच्छेद संख्या 3.8 के संबंध में।

रीको भू–निपटान नियम, 1979 के अन्तर्गत भवन विनियमों का प्रावधान किया गया है जिसके तहत आवंटी/पट्टाग्रहिता को भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार सैट–बैक छोडते हुए निर्माण कार्य किया जाना अनुज्ञेय है। आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा भवन विनियमों का उल्लंघन किए जाने पर इकाई प्रभारियों एवं संबंधित सक्षम अधिकारियों को "रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास एवं अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999" के तहत संबंधित अधिकारियों को अनाधिकृत निर्माण रोकने के लिए शक्तियॉ प्रदत्त की गयी है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा आवंटित भूखण्डों पर अनाधिकृत निर्माण कार्य किए जाने पर कार्यवाही किए जाने हेतु समय–समय पर कार्यालय आदेश एवं परिपत्र भी जारी किए गए हैं।

राजकीय उपक्रम समिति द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण कार्य की गतिविधि को गम्भीरता से लिया गया है एवं वर्ष 2015–16 के 37 वें प्रतिवेदन (अंकेक्षण वर्ष 2009–10) की सिफारिश संख्या 1 अनुच्छेद संख्या 3.8 में निम्न सिफारिश की गई है:

"रीको द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। समिति यह सिफारिश करती है कि आवागमन एवं सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए तथा इस प्रकार के निर्माणों का नियमितीकरण भी नहीं किया जाना चाहिए।"

अतः राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपकम समिति द्वारा की गई उपरोक्त सिफारिश के परिपेक्ष्य में समस्त इकाई प्रभारियों एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि इकाई प्रभारी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भूखण्ड आवंटन के पश्चात आवंटित भूखण्ड पर आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधियों पर निगरानी रखी जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा रीको भवन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित सैट–बैक छोडते हुए ही भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा अनाधिकृत निर्माण कार्य विशेष रूप से आवागमन एवं सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध संबंधित इकाई प्रभारी/सक्षम अधिकारी द्वारा रीको भू–निपटान नियम, 1979/लीजडीड के प्रावधानों अथवा "रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास एवं अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999", जो भी लागू हो, के तहत प्रक्रिया अपनाकर निर्माण कार्य हटाए जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर संबंधित इकाई प्रभारी को उत्तरदायी ठहराते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त निर्देश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
सलाहकार (इन्फ्रा)

PTO

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकः आईपीआई/पी.3/ऑडिट/38/2016/1528
दिनांकः 16 अगस्त, 2016

कार्यालय आदेश

विषय :–राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2015–16 के 37 वॉं प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009–10) की सिफारिश संख्या 3 अनुच्छेद संख्या 3.8 के संबंध में।

औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्ड पर आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माण कार्यों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने को राजकीय उपकम समिति द्वारा गम्भीरता से लिया गया है एवं वर्ष 2015–16 के 37 वें प्रतिवेदन (अंकेक्षण वर्ष 2009–10) की सिफारिश संख्या 3 अनुच्छेद संख्या 3.8 में यह सिफारिश की गई है कि रीको द्वारा सभी औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान निर्माणों का सर्वे करके वस्तुस्थिति को अभिलिखित किया जाये तथा इसके पश्चात होने वाले सभी अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने पर संबंधित इकाई प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किया जाये।

रीको द्वारा कार्यालय आदेश कमांक 12/2013 दिनांक 14.06.13 के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों पर संशोधित भवन विनियम (सैट–बैक) लागू किये गये थे एवं तत्पश्चात कार्यालय आदेश क्रमांक 26/2014 दिनांक 30.05.14 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि संशोधित भवन विनियम (सैट–बैक) सभी प्रकार के आवंटित औद्योगिक भूखण्डों के प्रकरणों में लागू होंगे तथा साथ ही कार्यालय आदेश कमांक 14.06.13 के तहत संशोधित सैट–बैक लगाने के पश्चात सैट बैक क्षेत्र में किया गया निर्माण कार्य अनाधिकृत निर्माण कार्य माना जाएगा। गैर औद्योगिक भूखण्डों के प्रकरणों में भी कार्यालय आदेश कमांक 24/2015 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि संशोधित/नये सैट–बैक लगाने के पश्चात सैट–बैक क्षेत्र में किया गया निर्माण कार्य अनाधिकृत निर्माण कार्य माना जावेगा।

राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति द्वारा की गई सिफारिश के परिपेक्ष्य में समस्त इकाई प्रभारियों को पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि रीको भू–निपटान नियम, 1979 के भवन विनियम (यथा संशोधित) के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों पर आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण कार्यों का इस कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह में सर्वे कर अभिलिखित किया जावे। इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि के पश्चात अनाधिकृत निर्माण नहीं हो एवं इसके लिए पूर्ण निगरानी रखी जावे। यदि आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा सर्वे में अभिलिखित अनाधिकृत निर्माण कार्य के पश्चात अन्य कोई अनाधिकृत निर्माण किया जाता है तो ऐसे अनाधिकृत निर्माण कार्यों के विरूद्ध संबंधित इकाई प्रभारी द्वारा रीको भू–निपटान नियम, 1979 एवं लीजडीड के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उक्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर संबंधित इकाई प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त निर्देश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
सलाहकार (इन्फ्रा)

PTO

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकः आईपीआई/पी.3/ऑडिट/38/2016/1529
दिनांकः 16 अगस्त, 2016

परिपत्र

विषय :–राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2015–16 के 37 वॉ प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009–10) की सिफारिश संख्या 10 अनुच्छेद संख्या 3.12 के संबंध में।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि अवाप्ति के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र का मानचित्र तैयार करते समय भूखण्डों, सुविधा क्षेत्र, खुला क्षेत्र एवं सडक इत्यादि का नियोजन किया जाता है। राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति 2015–16 के 37 वॉ प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009–10) की सिफारिश संख्या 10 अनुच्छेद संख्या 3.12 में औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ पंचम चरण की प्लानिंग में औद्योगिक भूखण्ड एसपी–29 के असामान्य आकार की प्लानिंग किए जाने को गम्भीरता से लेते हुए यह टिप्पणी की है कि " इतने बडे भूखण्ड का असामान्य आकार में बच जाना रीको द्वारा इस औद्योगिक क्षेत्र की प्लानिंग में कमी को दर्शाता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में औद्योगिक क्षेत्रों का ले–आउट बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि अनियमित आकार की बची हुई भूमि न्यूनतम रहे तथा इस प्रकार की भूमि को उसके निकटतम भूखण्ड के साथ आवंटित करने के प्रयास किये जायें।"

राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति द्वारा की गई उपरोक्त सिफारिश के परिपेक्ष्य में नियोजन शाखा के कार्मिकों एवं समस्त इकाई प्रभारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में औद्योगिक क्षेत्रों का ले–आउट तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि अनियमित आकार की बची हुई भूमि न्यूनतम रहे एवं यथा सम्भव अनियमित क्षेत्र को समीप के नियोजित भूखण्ड में समावेश करने का प्रयास किया जावे। यदि नियोजन के मापदण्डों के अनुसार बची हुई अनियमित भूमि का समावेश समीप के नियोजित भूखण्ड में व्यावहारिक एवं तकनीकी कारणों से सम्भव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ही ऐसी अनियमित आकार की भूमि को खुला/वुडलैंड क्षेत्र के रूप में नियोजन किए जाने का प्रयास किया जाए। उक्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर संबंधित कार्मिक को उत्तरदायी ठहराते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त निर्देश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
सलाहकार (इन्फ्रा)

PTO

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकः आईपीआई/पी.3/ऑडिट/35/2016/1530
दिनांकः 16 - अगस्त, 2016

परिपत्र

विषय :–राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2015–16 के 44 वॉ प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012–13) की सिफारिश संख्या 1 एवं 3 अनुच्छेद संख्या 4.6 के संबंध में।

औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्ड पर आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने के प्रकरणों को राजकीय उपकम समिति द्वारा गम्भीरता से लिया गया है एवं वर्ष 2015–16 के 44 वें प्रतिवेदन (अंकेक्षण वर्ष 2012–13) की सिफारिश संख्या 1 एवं 3 अनुच्छेद संख्या 4.6 में निम्नांकित सिफारिश की गई है:–

सिफारिश संख्या 1:– समिति सिफारिश करती है कि निर्माण पूर्ण करने व उत्पादन प्रारम्भ करने से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना रीको द्वारा सख्ती से की जानी चाहिये, विशेषतया उन मामलों में जहां आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य आरम्भ ही नहीं किया गया हो।

सिफारिश संख्या 3 :– तय समय सीमा में निर्माण गतिविधियां पूर्ण नहीं करने अथवा उत्पादन प्रारम्भ नहीं करने वाले आवंटियों को नियमानुसार नोटिस प्रदान करने एवं इन गतिविधियों की निगरानी रखने हेतु इकाई प्रभारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये। इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले इकाई प्रभारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।

रीको भू–निपटान नियम, 1979 के नियम संख्या 21 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों पर आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ किए जाने का प्रावधान है एवं साथ ही निर्धारित/तय समय सीमा में उक्त गतिविधि प्रारम्भ नहीं किए जाने पर नियम 24(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने के प्रावधान भी है। इकाई प्रभारियों/सक्षम अधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित प्रावधानों की अनुपालना सख्ती से नहीं किए जाने को राजकीय उपक्रम समिति द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपकम समिति द्वारा की गई उपरोक्त सिफारिशों के परिपेक्ष्य में समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों के आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं वाले आवंटियों/पट्टाग्रहिता की निगरानी रखने एवं उत्पादन प्रारम्भ करने से संबंधित प्रावधानों का सख्ती से अनुपालना कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना नही करने वाले इकाई प्रभारियों/सक्षम अधिकारियों को भविष्य में उत्तरदायी बनाया जावेगा एवं कार्य में ढिलाई करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
सलाहकार (इन्फ्रा)

C:\Users\Administrator\Desktop\PUC\Circulars and Letters.docx

PTO

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकः आईपीआई/पी.3/ऑडिट/37/2016/153
दिनांकः 16 अगस्त, 2016

परिपत्र

विषय :–राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2015–16 के 41 वॉ प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2011–12) की सिफारिश संख्या 2 अनुच्छेद संख्या 3.6 के संबंध में।

रीको भू–निपटान नियम, 1979 के नियम संख्या 3(W) के तहत राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में वृहद उद्योगों/NRIs/PIOs/Other Corporate Body (OCB)/IT Industry/FDI उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्रावधान है। इस नियम के तहत उद्यमी द्वारा आवेदन के समय परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित निवेश एवं रोजगार को मद्देनजर रखते हुए औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन किया जाता है। आवंटन के पश्चात उद्यमी द्वारा परियोजना रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक रूप से किये गये निवेश एवं रोजगार की निगरानी निगम द्वारा नहीं रखे जाने को राजकीय उपक्रम समिति द्वारा गम्भीरता से लिया गया है एवं वर्ष 2015–16 के 41 वें प्रतिवेदन (अंकेक्षण वर्ष 2011–12) की सिफारिश संख्या 2 अनुच्छेद संख्या 3.6 में यह सिफारिश की गई है कि नियम 3(W) के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों पर आवंटी द्वारा प्रस्तावित किये गये निवेश एवं रोजगार के वास्तविक क्रियान्वयन की रीको द्वारा निगरानी की प्रणाली निर्धारित की जानी चाहिए ताकि परियोजनाओं में लक्षित निवेश एवं रोजगार की वास्तविक प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

अतः राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपकम समिति द्वारा की गई सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में समस्त इकाई प्रभारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि नियम 3(W) के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों पर आवंटन के पश्चात आवंटी इकाई को भूखण्ड पर आवंटन–पत्र/प्रस्तुत परियोजना में लक्षित आंकडों के अनुसार निर्माण कार्य करने, उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने, निवेश करने तथा रोजगार उपलब्ध करवाए जाने से संबंधित Wake-up letter त्रैमासिक आधार पर जारी करते हुए आवंटित भूखण्ड पर परियोजना पर वास्तविक रूप से किए गए निवेश एवं रोजगार की निगरानी हेतु संबंधित सूचनाऐं संकलित की जावे ताकि राजकीय उपक्रम समिति द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में परियोजनाओं में लक्षित निवेश एवं रोजगार की वास्तविक प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त निर्देश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
सलाहकार (इन्फ्रा)

PTO